N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0077 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/03/2025 17:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 29/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 09:15 बजे **Time To (समय तक):** 11:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/03/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/03/2025 17:00:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 36 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** MALERA TOL PLAJA,RASHTRIYA RAJMARG 27,, PINDAWARA,JILA SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): SURESH KUMAR KHATEEK
(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAGCHAND KHATEEK
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1979 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHHOTA GUDA, GIRAVA, KURAWAD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHHOTA GUDA, GIRAVA, KURAWAD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PANNALAL		पिता:LIKHAMARAM	1. MALIYO KA BAS,,GOAN POST GANGANI,BAWARI,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	MUKESH KUMAR AND OTHERS POLICEKARMI		पिता:RAVA LAL	1. AUR,ABU ROAD SADAR,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	7000 रूपये रिश्वत की मांग करना	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 29.10.2024 को परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक पुत्र श्री भागचन्द खटीक, जाति खटीक, उम्र 46 वर्ष निवासी छोटा गुडा पुलिस थाना कुराबड़ तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर श्री रामेश्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति के इस आशय की पेश की कि मेरे ट्रक व ट्रेलर 2 है, जो जिस एरिया में किराया आता है तो किराये पर भेजता हूं, कल दिनांक 28.10.2024 को मेरी गाड़ी R127GE6765 को चालक दुर्गेश दास वैष्णव, निवासी लिम्बावास तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर जो प्लाईवुड भरकर गांधीधाम से आमेट जा रहा था, कल दिनांक 28.10.2024 को 7.7 बजे करीब मालेरा टॉल प्लाजा पर पहुंचा तो टोल प्लाजा से निकलते ही पुलिस वाले गाड़ी लेकर खड़े थे जिन्होंने मेरी गाड़ी को रोकने का ईशारा करने पर मेरे चालक ने गाड़ी रोकी तो मेरे चालक से गाड़ी के कागज व भरे हुए माल की बिल्टी मांगी जाने पर मेरे चालक द्वारा सभी कागजात अरूण जी व ए.एस. राठौर व अन्य पुलिस वाले को पेस किया तब कागद उनके पास में ही रखे जाकर चालक से एन्ट्री के 2000 रूपये मांगे चालक ने अपने पास 2000 रूपये नहीं होना बताया तब गाड़ी के कागजात उनके पास में रखे जाकर चालक को अन्दर डालने की धमकी देकर कागजाद लेकर चले गये तब मेरे ड्राईवर गाडी को साईड में लेकर मेरे से पूरी घटना की बात मुझे फोन पर बताई तब मैंने कहा कि पुलिस वाले चालान काटते है तो चालान कटवा लो चालान के जितने रूपये होंगे वो न्यायालय में जमा करवा देंगे चालान की कॉपी ले लो तब ये बात कहने तक पुलिस की गाड़ी चली गई थी। रात करीब 9 बजे पुलिस वाला बुलेट लेकर गाड़ी के पास आया चालक को कहा कि पैसे देकर निकल जाओ तब चालक ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तब पुलिस वाले ने कहा कि मैं फोन पे का स्केनर लाकर देता हु उसमें तुम्हारे सेठजी से पैसे मंगा लो वो पैसे तुम लेकर मुझे दे देना तब ड्राईवर ने मुझे फोन कर बात बताई तब मैंने कहा कि चालान के पैसे लेते हो तो मैं भेज देता हूं चालान की रसीद ले लेना बताया। तब चालक ने पुलिस द्वारा प्राईवेट व्यक्ति के स्केनर लाकर ड्राईवर को दिया तब ड्राईवर ने स्केनर मेरे को वॉट्सअप किया तब मैंने उस स्केनर पर 1500500 दो हजार रूपये ट्रांसफर किया तब प्राईवेट व्यक्ति ने 2000 रू मेरे चालक को दिया तब उन दो हजार में से 1200 रू. पुलिस वाले ने लिये तथा 800 रू ड्राईवर के पास ही रखे तथा गाड़ी के कागजाद व बिल्टी ड्राईवर को देकर चला गया। ये बात ड्राईवर ने मुझे रात को ही बताई तब मैंने कहा कि तु वहीं गाड़ी में सो जा तथा खलासी को गाडी के उपर सुला देना में सुबह आउंगा जो भी होगा मैं पुलिस वाले से बात करके हमेशा के लिये लेण देण कि बात कर देंगे ताकि अपने आने जाने कि कोई समस्या नहीं रहेगी। अभी में गाड़ी व चालक के पास जाउंगा तथा गाड़ी को वहां से रवाना करवाउंगा तो पुलिस वाले मेरे से एन्ट्री/रिश्वत और मांग सकते है जो मैं पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूं मेरे व पुलिस वालों के पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही हमारे कोई लेन-देन बाकी है रिपॉर्ट कर रहा हु कार्यवाही करावे। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही द्वारा मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक और निरीक्षक पुलिस का परस्पर परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द्ध कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान किये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरो सिरोही के निर्देशानुसार मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से प्राप्त कर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय के अनुसंधान कक्ष में आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपॉर्ट को पढ़कर रिपॉर्ट के साथ प्रस्तुत परिचय पत्र आधार कार्ड की प्रति का अवलोकन किया तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक पुत्र श्री भागचन्द

खटीक, जाति खटीक, उम्र 46 वर्ष, निवासी छोटा गुडा पुलिस थाना कुराबड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर होना पाया गया । परिवादी से प्रकरण के संबन्ध में विस्तृत पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपॉर्ट अपने हाथों से लिखकर लाना एवं रिपॉर्ट व आधार कार्ड पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुए रिपॉर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया तथा परिवादी ने पुलिसकर्मियों से स्वयं का किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं होना एवं परस्पर पुलिस कर्मियों से कोई रंजिश नहीं होना बताया। परिवादी से प्राप्त विस्तृत जानकारी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट के अवलोकन से मामला लोकसेवक पुलिस कर्मियों द्वारा परिवादी के वैध कार्य मालवाहक वाहनों के संचालन के लिये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री रमेश कुमार कानि नं. 119 को मन् निरीक्षक पुलिस के कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक व कानि श्री रमेश कुमार का परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबर आदान-प्रदान करवाये गये तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय कक्ष की अलमारी से निकालकर कानि. श्री रमेश कुमार को ऑपरेट करने के बारे में आवश्यक समझाईश की गई तथा परिवादी को भी शिकायत के बारे में पूर्णतया गोपनीयता बरतने एवं बाद सत्यापन अविलंब वापस सीधे ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास ब्यूरो कार्यालय सिरोही आने सहित आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री रमेश कुमार कानि नं 119 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द्ध किया और परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक के साथ परिवादी की निजी कार से रिश्वती राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27. मालेरा टोल प्लाजा, पिण्डवाडा की तरफ रवाना किया। दिनांक 29.10.2024 को वक्त 12.50 पीएम पर श्री रमेश कुमार कानि नं 119 मय परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा कानि श्री रमेश कुमार ने बंद हालात में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द्ध करते हुए बताया कि परिवादी के साथ रवाना होकर मालेरा टॉल प्लाजा के पास पहुंच परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर डिवाईस चालू कर सुपुर्द्ध किया जाकर माग सत्यापन वार्ता के लिए भेजते हुए वार्तालाप के बाद पिण्डवाड़ा की तरफ हाईवे पर मिलने की हिदायत दी गई। करीब एक घण्टे बाद पूर्व निर्धारित स्थान पर आकर परिवादी ने वॉईस रिकॉर्डर डिवाईस मुझ कानि को सुपुर्द्ध की जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मालेरा टोल पर उपस्थित पुलिस वालों से बातचीत हुई जिसमें से मुकेश भाई नाम के पुलिस वाले ने मुझसे मेरी गाड़ियों को चलाने देने की एवज में पहले दस हजार रूपये की मांग की जिस पर मेरे द्वारा दस हजार रूपये ज्यादा होने का कहते हुए थोड़े कम करने के लिए बोला तो मुकेश जी ने कुछ कम करते हुए सात हजार रूपये की मेरे से मांग कर आईंदा ड्राईवर के साथ भिजवाने का बोला। साथ ही अपने मोबाईल नंबर देते हुए आबुरोड से मोरस तक निश्चिन्त होकर गाडियां चलाने का आश्वासन दिया। जिस पर हम वहां से रवाना होकर आपके पास यहां उपस्थित आये हैं। कानि. श्री रमेश कुमार न 119 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लेते हुए सत्यापनकर्ता कानि के साथ उपस्थित आए परिवादी से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान पुलिस कर्मियों से हुई बातचीत के बारे में जानकारी चाही तो परिवादी ने हमराही कानि. की बातों की पुष्टि करते हुए बताया कि रमेश कुमार जी से चालू हालात मे डिवाईस प्राप्त कर पूर्व में वहां पर उपस्थित मेरे ड्राईवर की मदद से मालेरा टॉल प्लाजा पर उपस्थित पुलिस वालों से बातचीत करने के लिए गया तो दो तीन पुलिस वालों ने मुझसे बातचीत की आखिर में मुकेश भाई नामक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ियों के इस रूट पर चलने देने की एवज में पहले दस हजार रूपये की मांग की तो मेरे द्वारा दस हजार रूपये ज्यादा होने पर थोडे कम करने के लिए विनती की तो मुकेश जी ने कम करते हुए सात हजार रूपये की मेरे से मांग कर आईंदा ड्राईवर के साथ भिजवाने का बोला। साथ ही अपने मोबाईल नंबर देते हुए आबुरोड से मोरस तक निश्चिन्त होकर गाड़ियां चलाने का आश्वासन दिया। जिस पर मैं वहां से रवाना होकर पिण्डवाड़ा की तरफ हाईवे पर पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़े रमेश जी के पास आकर डिवाईस सुपुर्द्ध कर उपरोक्त हालात बताये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्डेड वार्ता को हैडफोन की सहायता से रिकॉर्डेड ऑडियो को फॉरवर्ड रिवर्स करके सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। रिकॉर्डेड मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी पुलिस कर्मी श्री मुकेश द्वारा मांगी गई सात हजार रूपये की रिश्वती राशि ट्रक ड्राईवर के साथ आईंदा भिजवाने का का उल्लेख करने एवं परिवादी ने भी बताया कि मैं आगे के दिनों में दीपावली का त्यौहार होने से व्यस्त रहूंगा। जिस पर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो सिरोही से निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही दीपावली के बाद में आइंदा करने का निर्णय लिया गया। आईंदा तलब करने पर एवं स्वय की सुविधानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर पुन हाजिर होने हेतु पाबंद कर प्रकरण के संबन्ध में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर हाजिर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय सिरोही से फारिक कर अपने गंतव्य के लिए रूखसत किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट व डिजिट वॉईस रिकॉर्डर को अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखकर अलमारी को तालाबंद कर चाबी कब्जा स्वयं ली। अग्रिम कार्यवाही के लिए परिवादी पुनः हाजिर होने पर मांग सत्यापन वार्ता की रूबरू स्वतत्र गवाहान फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईंदा पृथक से मुर्तिब की जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 04.11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से संपर्क कर अग्रिम

ट्रेप कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर होने हेतु आग्रह किया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरी एक गाड़ी गांधीधाम गई हुई है जिसमें से माल खाली नहीं हुआ हैं वहां पर माल खाली करने के बाद वहां से पुनः माल भरकर गाड़ी वहां से रवाना होगी तब मैं आपको सूचना देकर आपके पास आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को प्रकरण से संबन्धित कार्यवाही की गोपनीयता बरतने व उचित समय पुनः मन् निरीक्षक पुलिस से संपर्क करने की हिदायत दी गई। दिनांक 05.11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से पुनः संपर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर होने हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि आज लाभ पाचम का अवकाश होने से गुजरात में मजदूर नहीं मिलने से अभी तक गाडी से माल खाली नहीं हो पाया है। गाड़ी से माल खाली करने के बाद वहां से पुनः माल भरकर गाडी गुजरात से रवाना होने पर मैं आपको सूचना कर आपके पास आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को प्रकरण से संबन्धित कार्यवाही की गोपनीयता बरतने व उचित समय पुनः मन् निरीक्षक पुलिस से संपर्क करने की हिदायत दी गई। दिनांक 07.11.2024 मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के कम में परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क कर जानकारी चाही तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ने बताया कि आज मेरी गाड़ी से गांधीधाम में माल खाली हो गया है तथा नया माल भरने के लिए गाडी लाईन में लगी हुई है. माल भरकर गाड़ी गाधीधाम से रवाना होते ही मैं यहां से ब्यूरो कार्यालय सिरोही आने के लिए रवाना हो जाउंगा तथा आगे जो भी स्थिति होगी मैं आपको बता दूंगा। उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। दिनांक 08.11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क कर दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के सिलसिले में परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने का आग्रह किया तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ने बताया कि आज मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं उनको लेकर अस्पताल चैक-अप करवाने के लिए आया हुआ हूं, फिलहाल में मेरे पिताजी के ईलाज करवाने में व्यस्त होने से आगे की कार्यवाही के लिए आज हाजिर नहीं हो सकता हु तथा अभी अस्पलात में होने से ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता हूं। जिस पर परिवादी को आईंदा फुर्सत में पुनः कॉल कर बातचीत करने एव अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर होने की हिदायत दी गई। उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। दिनांक 09.11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिम द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के कम में परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी की तबियत ज्यादा खराब हो जाने से उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाए हुए हैं, उनकी हालात ज्यादा खराब होने से मैं मेरा मेरे पिताजी के पास रहना अति आवश्यक होने से अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए आईंदा ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर होना बताया। उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। दिनांक 15.11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाने से उदयपुर अस्पताल से आगे रैफर करने पर ईलाज के लिए उनको अहमदाबाद ले जाना है, अभी मैं मेरे पिताजी के ईलाज में व्यस्त होने के कारण अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित नहीं हो सकता हूं आईंदा मेरे पिताजी की तबीयत में सुधार होने पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर हो जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को आवश्यक हिदायत देकर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। दिनांक 18,19,20,21 व 22 11.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा सतत् रूप से परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क करने के प्रयास किये गये लेकिन परिवादी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस का कॉल अटैण्ड नहीं करने से परिवादी से संपर्क नहीं हो सका लिहाजा परिवादी के पिताजी की तबीयत ज्यादा सही नहीं होने से परिवादी द्वारा अपने पिताजी के ईलाज करवाने में व्यस्त होने से ईलाज के दौरान व्यक्धान नहीं करने एवं परिवादी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस से स्वतः ही संपर्क करने तक इंतजार करने का निर्णय लिया गया। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरो को निवेदन किये। दिनांक 02.12.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने हेतु आग्रह किया तो परिवादी ने बताया कि अब मैं मेरे पिताजी का ईलाज करवाकर घर पर आ चुका हूं मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में तो सुधार है लेकिन मेरे स्वय की तबीयत ठीक नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही के सिलसिले में ब्यूरो कार्यालय सिरोही आने में असमर्थ हु। आईंदा मेरी तबीयत ठीक होने पर में ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर हाजिर हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरो को निवेदन किये। दिनांक 03.12.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत रिपॉर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के कम में परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से जरिये दूरभाष संपर्क कर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आने का आग्रह किया तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ने बताया कि मेरी तबीयत अभी बराबर ठीक नहीं है तथा मेरे भाजे की शादी का कार्यक्रम आगामी दिनों में तय होने से दिनांक 08.12.2024 तक में उसमें व्यस्त रहूंगा तथा

उसके बाद उक्त रिपॉर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के लिए में स्वतः ही आपसे संपर्क कर लूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरों को निवेदन किये। दिनांक 09.12.2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को उसके द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत रिपॉर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के कम में जरिये दूरभाष संपर्क कर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आने का आग्रह किया तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ने बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत पुन ज्यादा खराब हो गई है, मैं उनका ईलाज करवाने व देखभाल एवं सेवा करने में व्यस्त रहुगा तथा मैं जब फ्री होउंगा स्वतः ही आप से संपर्क कर लूंगा आप कृप्या मुझे बार-बार कॉल नहीं करें। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 10.14 व 19 दिसंबर 2024 को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक से दूरभाष के जरिये संपर्क करना चाहा तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस के फॉन कॉल अटैण्ड नहीं किये। जिस पर दिनांक 20.12.2024 को परिवादी को पुनः जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस से जरिये दूरभाष वार्ता की जिसको परिवादी द्वारा दिनांक 29.10.2024 को सिरोही जिला पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने हेतू आग्रह किया तो परिवादी ने बताया कि मैं एक दो दिन में फी होकर आपको बताता हूं चूंकि पिछले दिनों मेरे फूफाजी की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी तो उनके सामाजिक रीति रिवाजों में व्यस्त हो गया था और मेरे पिताजी को लकवा हो जाने से उनकी सेवामें व्यस्त होने से मैं पिछले दिनों आपका कॉल नहीं उठा पाया था, अब मैं फी होकर एक दो दिन में आपसे संपर्क करता हूं। जिस पर दिनांक 21. 12 2024 को परिवादी से पुनः संपर्क किया गया तो परिवादी ने दिनांक 24.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने का बताया जिस पर परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता बरतने बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई। आज के रोज परिवादी से जरिये दूरभाष पुनः संपर्क किया गया तो परिवादी ने कल सुबह ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित हो जाने का आश्वासन दिया जिस पर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को आरोपी पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली रिश्वती राशि 7000 रूपये की व्यवस्था कर साथ में लेकर आने व प्रकरण में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी गई। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.12.2024 को श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही के नाम तहरीर जारी कर ब्यूरो कार्यालय सिरोही के विशेष वाहक श्री सुरेश दान कानि. नं. 470 को सुपुर्द्ध कर कार्यालय विकास अधिकारी सिरोही द्वारा मुकर्ररशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहों के नाम, पदनाम व मोबाईल नंबर नोट कर लाने हेतु निर्देशित किया। फलस्वरूप कानि श्री सुरेश दान नं. 470 कार्यालय पंचायत समिति सिरोही का पत्र कमांक पससि/संस्थापन / 2024/1338 दिनांक 23.12.2024 सहित उपस्थित चौकी आया। मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा पंचायत सिरोही के पत्र का अवलोकन किया तो श्री प्रदीप सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक को विकास अधिकारी की तरफ से ब्यूरो की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह मामूर करना पाया गया। दिनांक 23.12.2024 को वक्त 06.25 पी.एम. पर मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक ने कॉल कर बताया कि मेरे द्वारा पुलिस चौकी मोरस व मालेरा टोल को कॉस कर जाना आना ठीक नहीं रहेगा चूंकि अक्सर वहां पर पुलिस वालों की नाकाबंदी रहती है और मेरे फूफाजी की मौत हो चुकी है जिनके पीछे सामाजिक रीति-रिवाजों की रस्म अदायगी के लिए रिश्तेदारी में भी जाना पड़ेगा इसलिए मैं सिरोही आउंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा इससे बेहतर है कि आप उदयपुर आ जाओ मैं भी यहीं पर आ जाता हूं यहां से आगे की कार्यवाही शुरू करते है। जिस पर परिवादी को तदनुसार कल के रोज सुबह दस बजे आरोपी पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली 7000 रूपये की रिश्वती राशि सहित उदयपुर शहर में उपस्थित रहने व अपना मोबाईल फोन चालू रखने की हिदायत दी तथा ब्यूरो ट्रेप दल के साथ मन् निरीक्षक पुलिस का सुबह दस बजे उदयपुर शहर पहुंच संपर्क करने का आश्वासन देकर आवश्यक हिदायत दी गई एवं एक टैक्सी गाड़ी की व्यवस्था कर टैक्सी गाड़ी के टूर ऑपरेटर व पंचायत समिति सिरोही के श्री प्रदीप सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक दोनों गवाहों को सुबह सात बजे ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने बाबत् पाबंद किया व तदनुसार ब्यूरो कार्यालय सिरोही के स्टाफ श्री चेलाराम हैडकानि नं 109 व श्री रमेश कुमार कानि नं 119 को भी पाबंद किया गया। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही को निवेदन किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही के कम में दिनांक 24.12.2024 को वक्त सुबह सात बजे मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में पाबंद किये गये ब्यूरो कार्यालय स्टाफ श्री चेलाराम हैडकानि. नं 109, श्री रमेश कुमार कानि नं 119 एवं स्वतंत्र गवाहान के तौर पर पंचायत समिति सिरोही के श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक एवं श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक तथा टैक्सी गाड़ी मय चालक कैलाश कुमार ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आये। ब्यूरो स्टाफ को आवश्यक सामग्री की तैयारी करने एवं स्वतंत्र गवाहों को आवश्यक हिदायत देते हुए सामान्य ब्रिफिंग की गई एवं हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये जाकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से संपर्क कर उदयपुर शहर में होटल ईगल ईन, तीतरड़ी जयसमंद रोड़ पर वक्त 10.00 ए. एम पर उपस्थित रहने की हिदायत देते हुए स्वयं के ब्यूरो दल के साथ रवाना होकर नियत समय तक उपरोक्त स्थान पर पहुंच जाने की सूचना देकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के हमराही श्री चेलाराम हैडकानि

नं. 109. श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119. श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक एवं श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक तथा टैक्सी गाड़ी मय चालक कैलाश कुमार के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर ईत्यादि आवश्यक सामग्री के ब्यूरो कार्यालय सिरोही से उदयपुर के लिए रवाना हुआ एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिब्यूरो सिरोही को आरोपी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में उदयपुर रवाना होने एवं बैकअप सपोर्ट के तौर पर शेष ब्यूरो जाब्ता के साथ ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर चौकस रहने का निवेदन किया। ब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवानाशुदा मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता व हमराही स्वतंत्र गवाहान के साथ होटल ईगल ईन, तीतरही जयसमंद रोड उदयपुर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक पहले से हाजिर मिला, मय आवश्यक साजो सामान के होटल ईगल ईन में प्रवेश कर कैम्प किया जाकर मन् निपु द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक व श्री धीरेन्द्र सिंह गोयल कनिष्ठ सहायक का परस्पर परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई व दोनों स्वतंत्र गवाहों को बारी-बारी से पढ़ाई गई एवं ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड परिवादी एवं आरोपी पुलिस कर्मियों के मध्य दिनांक 29.10.2024 को रूबरू हुई वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंशों को फॉरवर्ड-रिवर्स कर के सुनाया गया तथा अपने यहां आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक व श्री धीरेन्द्र सिंह गोयल कनिष्ठ सहायक को बतौर निष्पक्ष गवाह शामिल होने का आग्रह किया तो उक्त दोनों कर्मचारियों ने परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर निष्पक्ष गवाह साथ रहने के लिए सहमति प्रदान करते हुए परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये जाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू करते हुए परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक एवं आरोपी श्री मुकेश पुलिस कानि. एवं अन्य के मध्य दिनाक 29.10.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा को रूबरू मौतबिरान श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक एवं श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रमेश कुमार कानि. न. 119 के द्वारा मन् कुयाराम के नीजी लेपटॉप से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इस वार्तालाप की मन् निपु के नीजी लेपटॉप के माध्यम से दो क्लॉन पैन ड्राईव 16 जीबी तैयार की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू ज्ञात किया तो निम्नानुसार पाया गया। 6ad0a71a63c441a1b1b5ff32fd21bec3
bb1dcd5bb54f67492b246ce0e2d3a45e602742ca
HrootPRIVATESONYREC_FILEFOLDER01241029_1102.tmk
0de07011aa9a9f96b1744bd22b2b9843 364c3f450c74d08626d0dcee1c5b13601d3f241b
HrootPRIVATESONYREC_FILEFOLDER01240930_1132.mp3
d9261b6d7c2a47f3acf6b5801c48d6dd 65fa0b0548607c7f067db54888ecec4b30158d47
HrootPRIVATESONYREC_FILEFOLDER01240930_1136.mp3
4edf23ba9175bf57e000325a1a8684ed 212a0cc7d858456211389bd2ec6e1c63f9deb0da
HrootPRIVATESONYREC_FILEFOLDER01241029_1102.mp3
44833fe0b7ab9707ace12e911c4ee78d 6229b6d7b4815c645869e9f7eb059c716acbb5b5
HrootPRIVATESONYREC_FILEFOLDER01241126_1208.mp3
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
HrootPRIVATESONYREC_FILE.sony_recording 4c6f67290ab17b103ac685d29507a81c
895a5d2aa2a2a2b265b183d643528efdda22f804 Hrootcapability_02.xml तत्पश्चात् एक सफेद कपड़े की थेली में डालकर मूल मैमोरी कार्ड को सील मोहर कर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर फर्द व थैली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मैमोरी कार्ड की सीलयुक्त थैली पर मार्क D अंकित किया गया, एवं दोनों क्लॉन पैन ड्राईव्ज को खुला रखा गया। आरोपी श्री मुकेश कुमार व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा की गई। तत्पश्चात् मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को आरोपी पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली 7000 रूपये रिश्वती राशि रूबरू स्वतंत्र गवाहान मन् नि. पु. को पेश करने को कहा तो परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक नेलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय की पेश की कि मैंने दिनांक 29.10.2024 को एसीबी कार्यालय सिरोही में उपस्थित होकर मालेरा टोल नाका एवं मोरस चौकी पिण्डवाड़ा के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए रिपोर्ट पेश की थी, एवं उक्त शिकायत का गोपनीय सत्यापन उसी दिन दिनांक 29.10.2024 को एसीबी के रमेश जी कांस्टेबल के साथ जाकर करवाया था, जिसमें वहां मौजुद पुलिस वालों ने मेरे से बातचीत की थी एवं मालेरा टोल पर मौजुद पुलिस वालों ने अपने प्रतिनिधी के तौर पर मुकेश जी नामक पुलिस वाले को मेरे पास बातचीत करने के लिए भेजा व बातचीत के दौरान मुकेश जी ने अपने मांबाईल नंबर मुझे देते हुए मेरे मोबाईल नंबर प्राप्त किये तथा मेरी मालवाहक गाड़ियों के आबूरोड़ से

लेकर मोरस चौकी तक बे रोक-टोक चलाने की एवज में दस हजार रूपये मासिक बंधी के तौर पर मांगे जिसका मैंने ज्यादा होने का बताते हुए कुछ कम करने की वीनती करने पर उन्होंने सात हजार रूपये लेना तय किया। उस समय धनतेरस एवं दीवाली के त्यौंयार का समय होने के कारण मैं वापस अपने काम पर चला गया एवं लाभ पांचम तक मेरी गाड़ियां भी किराये पर नहीं चल रही थी, उसके के पश्चात् मेरे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने एवं लकवा मार जाने के कारण मैं उनके ईलाज में व्यस्त हो गया जिस कारण से मेरी गाड़ियों को भी मैं नहीं सम्भाल पा रहा हूं अब पिछले काफी दिनों से मेरी गाड़ियां घर पर ही खड़ी है, मेरे पिताजी की सेवा में रहने के कारण व नीजी कारणों से मैं मेरी गाड़ियां नहीं चला पा रहा हूं, इन कारणों से मैं मेरे द्वारा दिनांक 29.10.2024 को एसीबी ऑफिस सिरोही में पुलिस वालों के खिलाफ प्रस्तुत रिपोर्ट पर आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता हूं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही यहीं पर समाप्त करने की कृपा करावें। जिस पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये तो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर मन् निपु द्वारा रूबरू गवाहान परिवादी द्वारा दिनांक 24.12.2024 को अग्रिम कानूनी कार्यवाही नहीं करने बाबत प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा दिनांक 24.12.2024 को आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही समाप्त करने बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरयाफ्त पर परिवादी द्वारा बताये गये हालातों के मध्यनजर परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने पर आरोपीगण के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही को विराम देने का निर्णय लिया गया एवं आरोपी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही सभव नहीं होने से परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक को फारिक कर रूखसत दी गई व श्री प्रदीप सिंह डाबी वरिष्ठ सहायक एवं श्री धीरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सिरोही दोनों स्वतंत्र गवाहों को विधिक कार्यवाही से फारिक किये गये। तत्पश्चात् मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मूल पत्रावली एवं शीलबंद मैमोरी कार्ड की थैली मय दोनों मुर्तिबा पैन ड्राईव्ज के हमराही श्री चेलाराम हैडकानि. नं. 109. श्री रमेश कुमार कानि नं 119, तथा टैक्सी गाड़ी मय चालक कैलाश कुमार के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर ईत्यादि आवश्यक सामग्री के होटल ईगल इन उदयपुर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुंचे। दिनांक 29.10.2024 को परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक एवं श्री मुकेश कुमार कानि श्री पन्नालाल उनिपु व अन्य पुलिस कर्मियों के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की मैमोरी कार्ड शीलशुदा एक सफेद कपड़े की थैली में मार्क D व दो 16 GB पैन ड्राईव्ज मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि नं 109 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द्ध कर ब्यूरो कार्यालय सिरोही के मालखाना में सुरक्षित जमा करवाये गये एवं कार्यालय स्टाफ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहों एवं टेक्सी गाड़ी मय चालक को ब्यूरो कार्यालय सिरोही से अपने-अपने गंतव्य के लिए रूखसत किये गये। श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में ब्यूरो कार्यालय सिरोही के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के माध्यम से करवाए गए मांग सत्यापन वार्तालाप से व अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 28.10.2024 की शाम को परिवादी श्री सुरेश कुमार खटीक की मालवाहक गाड़ी नंबर R127GE6765 को चालक श्री दुर्गेश दास वैष्णव गाधीधाम से प्लाईवुड भरकर आमेट राजसंमद के लिए नियमानुसार परिवहन कर रहा था, उसी दरम्यानी शाम को पुलिस चौकी मोरस, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के हल्का क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा ग्राम मालेरा पर पुलिस चौकी मोरस के प्रभारी अधिकारी श्री पन्नालाल उप निरीक्षक पुलिस के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा परिवादी की उक्त गाडी को अवैध रूप से रोककर चालक दुर्गेश दास वैष्णव से पुलिस कर्मी अरूण जी. एएस राठौड़ व अन्य के द्वारा 2000 रूपये की एन्ट्री के नाम पर रिश्वत मांगी गई जिस पर गाड़ी के चालक द्वारा एन्ट्री के रूप में 2000 रूपये की रिश्वत देने से मना करने पर वहां मौजुद पुलिस कर्मियों द्वारा ड्राईवर को अन्दर डालने की धमकी देकर गाड़ी के कागजात लेकर चले गये तथा गाड़ी मालिक से मोबाईल फोन पर बातचीत करवाकर उससे किसी अन्य व्यक्ति के नीजी पैमेन्ट स्कैनर पर दो बार में 1500 एवं 500 कुल 2000 रूपये प्राप्त कर 1200 रूपये पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किये गये, चूंकि उक्त पुलिस कर्मियों द्वारा गाडी के ड्राईवर को एव गाडी मालिक को किसी प्रकार की चालान पावती/मीमो नहीं दिया गया था, तत्पश्चात् गाड़ी के कागजात वापस लौटा दिये गये। जिस पर गाड़ी मालिक श्री सुरेश कुमार खटीक द्वारा दिनांक 29.10.2024 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि मेरे बड़ी गाड़ियों का कामकाज है एवं मेरी गाड़ियों को चलाने देने की एवज में मोरस पुलिस चौकी के पुलिस कर्मी अब मेरे से मंथली रिश्वती राशि की मांग अवश्य करेंगे, जिस पर उसी रोज परिवादी की शिकायत पर गोपनीय रूप से मांग का सत्यापन करवाया गया तो मालेरा टोल प्लाजा पर मौजुद पुलिस चौकी मोरस के प्रभारी अधिकारी श्री पन्नालाल उप निरीक्षक पुलिस एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा परिवादी से बातचीत की एवं दौराने बातचीत श्री पन्नालाल उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की गाड़ी की हाईट (उंचाई) का चालान बनाने एवं दस हजार रूपये तक का भारी चालान बनाने सबन्धी अन्य वार्तालाप करते हुए आपके सिद्धांत क्या है न थोड़ाक ठीक है कभी रूकवाते है वाहन... जो अच्छी व्यवहार का वो करता है आप जैसा कोई व्यवहार अपने साथ अच्छा हो बोलकर परिवादी से रिश्वत प्राप्ति की तीव्र अपेक्षा की गई तथा दौरान मांग

सत्यापन वार्तालाप वहां मौजुद अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा बीच-बीच में गाड़ियों में लकड़ी भरी हुई होने, चालान बनाने, परमिट की शर्तो का उल्लंघन होने एवं अन्य विभागों की तुलना में बतौर पुलिसकर्मी स्वयं द्वारा मुस्तैदी से ड्यूटी करने का बोलते हुए परिवादी से परोक्ष रूप से आर्थिक लाभ अभिप्राप्त करने की सामूहिक ईच्छा जताना पाया गया तथा वहां पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों द्वारा काफी देर तक परस्पर गुफ्तगु करने के उपरांत लेन-देन की वार्ता करने के लिए श्री मुकेश कुमार नामक कानि को परिवादी के पास भेजा जिसने दौराने बातचीत परिवादी से परिचय प्राप्त कर उसके भारी मालवाहक वाहनों को आबूरोड से मोरस चौकी हल्का क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध रूप से चलाने देने की ऐवज में 10,000 रूपये की मांग की गई जिस पर परिवादी द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर 7000 रूपये मांग कर परिवादी के मोबाईल नबर प्राप्त कर स्वय के मोबाईल एवं व्हाट्सएप नंबर परिवादी को दिये जाकर उसके द्वारा उपलब्ध करवाऐ जाने वाले स्कैनर पर उसके बताये जाने पर पैमेन्ट करने अथवा आईंदा आने वाली गाड़ी के ड्राईवर के साथ भिजवाने का बताते हुए उक्त 7000 रिश्वती राशि बाद में प्राप्त करना तय करना पाया गया। अतः 1. श्री पन्नालाल पुत्र श्री लिखमाराम, जाति माली, उम्र 30 वर्ष, निवासी मालियो बास, गांव/पॉस्ट गंगाणी, तहसिल बावड़ी, जिला जोधपुर तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी मोरस, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल उप निरीक्षक पुलिस, जिला ब्यावर, 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रावा लाल, जाति माली, उम्र 42 वर्ष, निवासी ओर, पुलिस थाना आबुरोड़ सदर, जिला सिरोही हाल कानि नं. 196, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही एवं अन्य पुलिस कर्मी जिला पुलिस सिरोही द्वारा जुर्म धारा 7. 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवद्रीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री पन्नालाल पुत्र श्री लिखमाराम, जाति माली, उम्र 30 वर्ष, निवासी मालियो बास, गांव/पॉस्ट गंगाणी, तहसिल बावड़ी, जिला जोधपुर तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी मोरस, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल उप निरीक्षक पुलिस, जिला ब्यावर, 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रावा लाल, जाति माली, उम्र 42 वर्ष, निवासी ओर, पुलिस थाना आबुरोड़ सदर, जिला सिरोही हाल कानि नं. 196, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही एवं अन्य पुलिस कर्मी जिला पुलिस सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम, पाली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 422 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 452–56 दिनांक 28.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर 3- पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/03/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1995				
2	Male	24/09/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)